

18/5/2018

पत्रावली राज्य लोक अदालत कैम्प  
बागुण्ड का स्थान है। उक्त पत्र  
उपस्थित। कदम चुनी गई बागीबारी  
निर्देश एवं पत्रावली का उपलब्ध  
राज्य अधिनियम का अवलोकन  
किया गया।

सातवां प्रांत पठ दस प्रकरण है  
कि प्राचीनता की ओर ल प्रांत पर अर्पित  
धारा 136 NDA के तहत प्रकृत किया  
गया कि प्राचीनता के ग्राम क्षेत्रों पर  
मं दर्ज साबिक आठ नं 1/21, 2/14  
2/2, 2/6 किला 4 कुल 2 का का  
10 बीघा 08 बिघा दर्ज की किला  
→

Dr



सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता का कुल  
 रकबा 1.38 हेक्टेयर की दर्ज किया गया  
 है जो मम क्षेत्र से साविक विभाग के मुख्यालय  
 दर्ज किया जाय

नामक लखनऊ मद्रास 101 रिजर्व प्रदा. की  
 गर्द कि प्राथमिकता की साविक आ. नं. 1/21, 2/14,  
 2/2, 2/6 कितार 4 कुल रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा  
 शमि दर्ज रेकर्ड की वर्तमान की प्रकाश से नवीन  
 आ. नं. 816, 817, 818, 819 कितार 4 कुल रकबा  
 1.38 हेक्टेयर बनाने जाय दर्ज वादियों के  
 नाम दर्ज की है। उक्त 'कृष्णाघाट' ग्राम सोदमे  
 व कुरेवा की सीमा स्पष्ट किंतु क्षेत्र प्राथमिकता का  
 रकबा ग्राम कुरेवा की सीमा में ही है। जो नवाजा  
 की भूमि है जो इनके क्षेत्र दर्ज नहीं है। रक  
 प्रकाश अन्य शाल की जगह प्राथमिकता की रक  
 जाय दर्ज नहीं है।

न्यायालय नामक लखनऊ मद्रास की  
 रिजर्व से सदमत है। प्राथमिकता का आ. नं. 136  
 की नवीन में नहीं आता है। प्राथमिकता  
 के साविक अधिकार के प्रावधानों से तहत वादों  
 याचक जगह जोत एक तन्त्र है। प्राथमिकता का  
 आ. नं. 136 HRA की साविक नहीं है। व  
 शारीरक विभाजित जाय है। निधि सुलभता  
 जगह। पत्रावली फिलहाल शून्य क्षेत्र तन्त्र  
 से मम है।

*[Signature]*  
 18.5.18